

राजस्थान-सरकार

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी माण्डल जिला भीलवाड़ा

तहसील अधिकारी - कृष्णपाल सिंह चौहान, आर.ए.एस.

दस्ता संख्या - 109/17 प्रा०पत्र

गामुगिरी 510 कल्याण गिरी बुराई, निवासी-गगतानपुरा तहगांज

बनाम

-प्रार्थी

गामुगिरी 510 कल्याण गिरी बुराई निवासी-गगतानपुरा तह गांजल [कंगोरा]
(पृष्ठ संक्रि प्र। 0 पत्र सलेंज)

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111-128 रा.भू.रा.अधि. 1956

-विपक्षीगण

::आदेश::

दिनांक - 14-6-19

प्रार्थी की ओर से एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111-128 रा.भू.रा.अधि. 1956 के तहत प्रस्तुत कर
वेवेदन किया कि ग्राम गगतानपुरा पटवार हलका गगतानपुरा तहसील माण्डल में
उसके खाते / संयुक्त खाते की आराजी नं. पृष्ठ संक्रि पिक्ले पृष्ठ पर 30 कित कुल
किता 07 रकबा 06 बीघा 07 बिस्वा स्थित है। वादग्रस्त भूमि के विपक्षीगण के
मध्य आराजी मुतदायिवा के सीमा चिन्ह नहीं होने से आये दिन सीमा संबंधी विवाद उत्पन्न होता रहता है।
जिसमें प्रार्थी अपने खाते / संयुक्त खाते की भूमि की पत्थरगढ़ी के आदेश प्रदान कराये जावें।

प्रस्तुत प्रार्थना पत्र इस न्यायालय में दिनांक 24-5-19 को पंजीबद्ध किया जाकर
प्रकरण को अवलोकनार्थ से यह बात सिद्ध है कि वादग्रस्त भूमि प्रार्थी के खाते एवं कब्जे काश्त की होने से
पत्थरगढ़ी कराने का अधिकारी है। वैसे भी इस प्रकार के आदेश से अधिकार अभिलेख में किसी प्रकार की
हेरा-फेरी होने का अंदेशा नहीं है तथा न किसी प्रकार अधिकार निर्धारित किये जाते हैं। अतः इन तथ्यों को
देखते हुए नैसर्गिक की न्यायिक सिद्धान्त के आधार पर आवेदन पत्र स्वीकार योग्य है।

:: आदेश ::

प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111-128 रा.भू.रा.अधि. 1956 का स्वीकार किया जाकर ग्राम गगतानपुरा
गगतानपुरा पटवार हलका गगतानपुरा तहसील माण्डल में उसके खाते / संयुक्त खाते
की आराजी नं. पृष्ठ संक्रि पिक्ले पृष्ठ पर 30 कित कुल किता 07 रकबा 06
07 बीघा 07 बिस्वा भूमि के चारों तरफ सीमा की पुख्ता जानकारी किये जाने हेतु पत्थरगढ़ी किये
जाने का आदेश दिया जाता है। पत्थरगढ़ी किये जाने हेतु भू-अभिलेख निरीक्षक गगतानपुरा को 350/-
रुपये/- कमिश्नर फीस पर कमिश्नर नियुक्त किया जाता है। कमिश्नर फीस प्रार्थीगण मौके पर
जमा करावें। कमिश्नर फीस जमा होने पर पक्षकारान् की मौजूदगी में मौके व कब्जे की यथास्थिति को
बनाये रखते हुए मुस्तकील विन्दु को आधार मानकर पत्थरगढ़ी की जावें। फसल खड़ी होने पर पत्थरगढ़ी
नहीं की जावें।

उपखण्ड अधिकारी
माण्डल भीलवाड़ा

प्रतिलिपि - तहसीलदार माण्डल को भेजकर लेख है कि प्रार्थी द्वारा राशि जमा कराने पर नियमानुसार
पत्थरगढ़ी की जाकर पालना रिपोर्ट 7 दिवस में प्रस्तुत करे।

उपखण्ड अधिकारी
माण्डल भीलवाड़ा